

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

गिरखारी बनाम श्रीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 244/2022/361

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती गिरखारी

पिता श्री मगनीराम शर्मा गाडी

निवासी- सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सावा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 493मी, 495मी

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.3600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सावा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 493मी, 495मी

कुल कीता 2 रकबा 0.3600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500 = 500 रुपये अक्षरे पंच से रकबा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(शरदम सुन्दर विश्नेई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)